

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2012 / 9 1 2019-58मेला / 2018
लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

चूँकि संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16, सन् 1938) की धारा-2 के परन्तुक की अपेक्षानुसार आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या-1731/9-1-2019-58मेला/2018, दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को गजट में प्रकाशित की गयी थी ;

और चूँकि कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब, संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिला अयोध्या में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से चतुर्दशी तक आयोजित दीपोत्सव मेला, जिला अयोध्या को प्रान्तीयकृत मेला घोषित करते हैं। उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध, नीचे विस्तृत रूप से वर्णित क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान प्रवर्तित होंगे :-

क्षेत्र का विवरण

नगर निगम अयोध्या की सम्पूर्ण परिधि के भीतर भक्तगण गुप्तारघाट से अयोध्या तक भ्रमण करते हैं।

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2612 (1)/9-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियाँ शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-2012 (2)/9-1-2019 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।
- (2) उ0प्र0 शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- (3) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- (4) मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- (5) जिलाधिकारी, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- (8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification no. 2612/9-1-2019-58Mela/18, dated: October 23, 2019 for the information of general public.

NOTIFICATION

No-2612/9-1-2019-58Mela/18
Lucknow-dated: October 23, 2019


Whereas Government notification No-1731/9-1-2019-58Mela/2018 was published in the Gazette dated: September 09, 2019 with a view to inviting objections and suggestions thereon as required in the proviso to section 2 of the United Provinces Mela Act, 1938 (U.P. Act no. XVI of 1938);

And whereas no objection or suggestion has been received within the stipulative time.

Now, therefore, in exercise of the powers under section 2 of the United Provinces Mela Act, 1938 (U.P. Act no. XVI of 1938), the Governor is pleased to declare Deepotsav Mela, District Ayodhya, as provincial mela in District Ayodhya held from Ekadashi to Chaturdashi in the Krishnapach of the Kartik month, every year. All the provisions of the said Act shall come into operation during the said period in the area detailed below :-

Details of the Area

Within the whole periphery of Nagar Nigam, Ayodhya devotees visit Guptarghat to Ayodhya.


23.10.19
(Manoj Kumar Singh)
Pramukh Sachiv.